संख्या- 60/2025/691/छप्पन-2025-60/1993

प्रेषक,

अभिनव कुमार चौरसिया,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ; दिनांक: 16 जून, 2025

विषय: जनपद श्रावस्ती स्थित हवाई अड्डा विस्तारीकरण परियोजना के अन्तर्गत जनपद बलरामपुर के ग्राम बगाही में प्रभावित भूमि को क्रय करने हेतु अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष शेष धनराशि उपलब्ध कराए जाने हेतु स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 36/आर0सी0एस0-2025-बी-2/2023 दिनांक 15 मई, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जिलाधिकारी, बलरामपुर के पत्र संख्या 123/एल0ए0सी0(परि0-शे0ब0आ0)/2025 दिनांक 26 अप्रैल, 2025 द्वारा की गयी अपेक्षा के क्रम में जनपद श्रावस्ती हवाई अड्डा विस्तारीकरण परियोजना के अन्तर्गत जनपद बलरामपुर के ग्राम बगाही में प्रभावित भूमि को क्रय करने हेतु अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष भूमि अधिग्रहण की आगणित धनराशि रू0 2,96,38,242/- में से अवशेष धनराशि रू0 36,42,352/- कम करते हुए (रू0 2,96,38,242- रू0 36,42,352) रू0 2,59,95,890/- (रूपए दो करोड़ उनसठ लाख पन्चानब्बे हजार आठ सौ नब्बे मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जिलाधिकारी, श्रावस्ती के निवर्तन पर प्रदान करने की अपेक्षा की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद श्रावस्ती हवाई अड्डा विस्तारीकरण परियोजना के अन्तर्गत जनपद बलरामपुर के ग्राम बगाही में प्रभावित भूमि को क्रय करने हेतु अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष भूमि अधिग्रहण की आगणित धनराशि रू0 2,96,38,242/- में से अवशेष धनराशि रू0 36,42,352/- कम करते हुए (रू0 2,96,38,242 - रू0 36,42,352) रू0 2,59,95,890/- (रूपए दो करोड़ उनसठ लाख पन्चानब्बे हजार आठ सौ नब्बे मात्र) की वित्तीय स्वीकृति तथा स्वीकृति के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि रू0 2,59,95,890/- चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिलाधिकारी, श्रावस्ती के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृति की जा रही धनराशि का उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही करना सुनिश्चित करेंगे।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।

(4) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाएगा।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) उक्त स्वीकृति धनराशि के आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

(9) आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(10) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(11) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय का विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(12) वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा रही धनराशि के सापेक्ष यदि कोई बचत होती है, तो बचत की धनराशि जिलाधिकारी, श्रावस्ती द्वारा राजकोष में जमा कराई जाएगी।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 2,59,95,890/- (रूपए दो करोड़ उनसठ लाख पन्चानब्बे हजार आठ सौ नब्बे मात्र) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, श्रावस्ती के निर्वतन पर रखी जायेगी। जिलाधिकारी, श्रावस्ती द्वारा उक्त धनराशि जिलाधिकारी, बलरामपुर को उपलब्ध करायी जाएगी तथा जिलाधिकारी, बलरामपुर द्वारा यथा आवश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

4- उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान संख्या-38 के अधीन पूंजी लेखा "लेखाशीर्ष ''5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-60-भूमि क्रय'' से वहन की जाएगी।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या: ई-7-15/दस-2025-26, दिनांक 13 जून, 2025 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 60/2025/691/छप्पन-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- आयुक्त, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा ।
4- जिलाधिकारी, श्रावस्ती/बलरामपुर।
5- निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/श्रावस्ती।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-1/राजस्व अनुभाग-13
8- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।